सं. डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई (मजूरी कक्ष)/एफटीएस-2038

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्‌यम विभाग

लोक उद्‌यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 09 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यमों (सीपीएसई) में औद्‌योगिक महंगाई वेतनमान के अनुरूप बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग ने दिनांक 19.07.1995 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) के अधीन बोर्ड स्तर के पद (अनुलग्नक-III) पर कार्यरत कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को इंगित किया। अपने दिनांक 19.07.1995 के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डीपीई (मजूरी कक्ष) में, इस विभाग ने बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया है (अनुलग्नक-III)। उसमें उल्लिखित महंगाई भत्ता स्कीम के अनुसार, महंगाई भत्ता की किस्तें 1099 (1960=100) के तिमाही सूचकांक औसत से ऊपर मूल्य वृद्‌धि के आधार पर प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर से देय हो जाती है।

2. इस विभाग के दिनांक 21.04.2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, 1992 के वेतनमान के आईडीए पैटर्न के अनुसार सीपीएसई बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय मंहगाई भत्ते दरें निम्नानुसार संशोधित की जा सकती है:-

जिस तारीख से देय है : 01.07.2025

मार्च, 2025 से मई, 2025 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 9433 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्‌धि [(9433-1099) /1099 *100] 758.3% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें 01.07.2025 से निम्नानुसार प्रभावी हैं।

मूल वेतन प्रतिमाह	**महंगाई भत्ते की दर**
3500 रुपए तक	न्यूनतम 16668/- रूपए के अध्यधीन वेतन का 758.3%
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	न्यूनतम 26541/- रूपए के अध्यधीन वेतन का 568.7%
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	न्यूनतम 36966/- रूपए के अध्यधीन वेतन का 455.0%
9500 रुपए से अधिक	न्यूनतम 43225/- रूपए के अध्यधीन वेतन का 379.1%

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक अंश को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम अंश को नजर अंदाज कर दिया जाए ।

4 1987 के वेतनमान वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आईडीए पैटर्न अपनाने वाले बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को प्रति अंक परिवर्तन के लिए 2.00 रूपये की दर से निष्प्रभावन की पुरानी पद्धति से (19) अंकों की ***वृद्धि*** के लिए दिनांक 01.07.2025 से देय औद्योगिक महंगाई भत्ते की राशि 38/- रुपए तथा औसत एआईसीपीआई 9433 पर, महंगाई भत्ता की राशि 17456 रुपए देय होगी।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

6. इसे सचिव, लोक उद्यम विभाग के अनुमोदन से जारी किया गया है।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)
उप-सचिव, भारत सरकार